न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 07/2019

अपीलार्थी–

1. ताराचंद पुत्र रूपाराम
2. सवाईराम पुत्र रूपाराम
3. नारायणराम पुत्र रूपाराम

जाति सुथार निवासी खोडाल ग्राम पंचायत राजड़ाल तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार शिव
2. पेमाराम पुत्र लालूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र लालुराम
4. पुरूषोतम पुत्र लालुराम

जाति सुथार निवासी खोडाल ग्राम पंचायत राजड़ाल तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो राजस्व अपील क्रमांक 01/2015 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री बलराम प्रजापत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भगवानदास गोयल, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2से4 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 30/07/2019

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार शिव के द्वारा नामान्तरकरण रिमाण्ड प्रकरण सं. 01/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2015 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम खोड़ाल के खसरा नम्बर 33, 45, 71, 114, 186 व 205 रकबा क्रमशः 07–06, 13–13, 12–15, 09–06, 76–19, 122–07 बीघा कुल रकबा 242–06 बीघा भूमि रूपा, अमरा, लालू पि0 लाधा जाति सुथान निवासी खोड़ाल के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार अमरा के फोत होने पर हल्का पटवारी राजड़ाल द्वारा अमरा के उत्तराधिकारी के रूप मे रेस्पोडेंट सं. 2 पेमाराम का नाम अंकित करते हुए नामान्तरकरण सं. 109 दायर कर ग्राम पंचायत राजड़ाल

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा दिनांक 16.09.1981 को स्वीकृत कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृती के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 24.09.2014 के द्वारा स्वीकार करते कर नामान्तरकरण सं. 109 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि नये सिरे से विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करके नामान्तरकरण दायर करने की कार्यवाही करें। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 01/2015 दर्ज कर उभय पक्षकारान को नोटिस व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए उनकी सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 पेमाराम को मृतक खातेदार अमरा का उत्तराधिकारी मानते हुए नामान्तरकरण सं. 109 को बहाल कर दिया। इस पर तहसीलदार शिव के इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2015 को प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कर वास्ते अवलोकन हमफीता किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2से4 के दादा स्व0 लाधा की खातेदारी की थी तथा लाधा के फोत होने पर उसके तीन पुत्रों क्रमशः रूपा, अमरा व लालू के नाम दर्ज हुई। उक्त खातेदार अमरा अविवाहित रहा एवं लाऔलाद ही फोत हुआ था जिस पर उसके हिस्से 1/3 की भूमि उसके दोनो सगे भाईयों के हिस्से मे मर्ज होकर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं. 2से4 का हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज होना चाहिए था किन्तु रेस्पोडेंट सं. 2 ने हल्का पटवारी से मिलावट कर स्वंय को स्व0 अमरा का गोद पुत्र बताकर जरिये नामान्तरकरण सं. 109 स्वीकृति दिनांक 16.09.1981 के द्वारा 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज करवा दी। इस पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे निर्णय दिनांक 24.09.14 के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 109 को खारिज किया गया एवं प्रकरण पुनः जांच उपरांत नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव को रिमाण्ड किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा प्रस्तुत अपंजिकृत गोदनामा एवं मौखिक बयानों पर विश्वास कर उसे मृतक अमरा का वारीस मानते हुए अपील न्यायालय द्वारा खारिज किये गये नामान्तरकरण सं. 109 को बहाल रखे जाने का क्षेत्राधिकार विहिन अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो खारिज योग्य हैं। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2से4 के अधिवक्ता ने जवाब मे लिखित बहस प्रक्कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध मे उत्तराधिकारियों की जांच एवं साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर लेते हुए भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख निदेशक के रूप मे सम्भागीय आयुक्त है। इस प्रकार यह अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार मे नही होने से खारिज फरमाई जावें।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम खोडाल के नामान्तरकरण सं. 109 ग्राम पंचायत राजड़ाल द्वारा मृतक अमरा के फोत होने पर उसके उत्तराधिकारी के रूप मे रेस्पो0 सं. 2 पेमाराम के नाम स्वीकृत किया गया था। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील पर उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा निर्णय दिनांक 24.09.2014 के द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रकरण पुनः जांच एवं पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवाई उपरांत नये सिरे से नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा जांच प्रकरण सं. 01/2015 मे अपीलाधीन आदेश पारित कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश प्रसारित करने की बजाय नामान्तरकरण सं. 109 को ही बहाल कर दिया जो कि अपील न्यायालय न्यायालय के निर्णय मे दिये गये निर्देशों के विपरित हैं। जहां तक अधिवक्ता रेस्पोडेंट का कथन हैं कि अपीलाधीन निर्णय पर इस न्यायालय का सुनवाई

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

क्षेत्राधिकार नही है, इस स्तर पर यह आक्षेप विचार योग्य नही हैं। भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा गुणावगुण पर अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया हैं कि अपंजीकृत गोदनामा को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53क के अन्तर्गत विरासत अधिकार का आधार नही माना जा सकता है तथा गोदनामा का पंजीकृत होना आवश्यक हैं। इसके जवाब मे अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा गुणावगुण पर कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं. 01/2015 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करें।

आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner